UPMT010016802026

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, मथुरा

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र संख्या–61/2026

श्रीमती मुन्नीदेवी बनाम ओमप्रकाश आदि

09.04.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 4क पर सुना।

विपक्षीगण पर आदेश दिनांक 23.03.2026 के माध्यम से तामील पर्याप्त मानी जा चुकी है, किन्तु विपक्षीगण की ओर से न तो कोई उपस्थित आया, न ही आपत्ति दाखिल की गयी।

यह स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 24 सी०पी०सी० का०सं० 4क प्रार्थी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिया द्वारा एक मूलवाद संख्या 243/2020 श्रीमती मुन्नीदेवी बनाम ओमप्रकाश आदि न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन, मथुरा में बाबत बंटवारा व निषेधाज्ञा के विचाराधीन है। जिसमें प्रतिपक्षी सं० 1 लगायत 8 को प्रतिवादी बनाया गया है। प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र की प्रतिपक्षी सं० 6 ने प्रार्थिया व उसके बच्चों को पक्षकार बनाते हुए एक सिविल वाद संख्या 283/2022 श्रीमती माया सारस्वत बनाम दीपचन्द आदि बाबत निषेधाज्ञा दायर कर दिया है, जो न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) त्वरित न्यायालय, मथुरा में विचाराधीन है। उक्त दोनों वादों में पक्षकार समान हैं, विवाद समान है तथा सम्पत्ति भी समान है। उपरोक्त दोनों ही वादों की विषयवस्तुत एक ही है, समान साक्ष्य पेश किया जाना है तथा विरोधाभासी निर्णय पारित हो जाने से बचने हेतु दोनों वादों को किसी एक न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। तदनुसार पक्षकारों का समय व धन का अपव्यय बचाने एवं विरोधाभासी निर्णय पारित होने से बचाने हेतु उक्त दोनों वादों को किसी एक सक्षम न्यायालय में अंतरित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। समर्थन में शपथपत्र 5ग प्रस्तुत किया गया है।

संबंधित न्यायालयों से प्राप्त आख्याओं के अनुसार उक्त दोनों वाद संबंधित न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

चूंकि पक्षकारों द्वारा उक्त दोनों वाद समान सम्पत्ति के संबंध में अलग–अलग न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें पक्षकार भी समान हैं। उक्त दोनों वाद वर्तमान में अलग–अलग न्यायालयों में विचाराधीन है, जिनका किसी एक ही न्यायालय द्वारा विचारण/निस्तारण किया जाना उचित होगा। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थनापत्र 4क स्वीकार किया जाता है। **सिविल वाद संख्या 283/2022 श्रीमती माया सारस्वत बनाम दीपचन्द आदि को न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) त्वरित न्यायालय, मथुरा से वापस लेकर विधि अनुसार निस्तारण हेतु न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मथुरा में अन्तरित किया जाता है।**

संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए उक्त वादों में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(विकास कुमार–I)
जनपद न्यायाधीश, मथुरा
I.D. No. UP 1910

सन्देश वर्मा

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.04.09 16:51:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court